

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक

संख्या-17/विधि 2-04/2017-

/स्वा०, डा० विष्णुकान्त पाण्डेय, पिता-श्री रामेश्वर

पाण्डेय, सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (बी०) सह पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-6190 वि० दिनांक-27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-अधिसूचना निर्गत की तिथि से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यदि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवानिवृत्त चिकित्सक शिक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का विषय संज्ञान में आता है या दोषी पाये जाते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही की जाएगी, साथ ही सेवाकाल की कोई अवधि बाद में अविनियमित पाई जाती है तो उसकी सारी जवाबदेही स्वयं चिकित्सक शिक्षक की होगी।

3. डा० विष्णुकान्त पाण्डेय भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/संविदागत नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/विधि 2-04/2017-369 (17/पटना, दिनांक :- 31/5/19

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि डा० विष्णुकान्त पाण्डेय, सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण-पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को ऐच्छिक सेवानिवृत्त चिकित्सक शिक्षक के सेवांत लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रति में पेंशन प्रपत्र सहित वांछित कागजात उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० विष्णुकान्त पाण्डेय, सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, (कौशल किशोर) के आप्त सचिव /प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,03,09, 17 एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।